।। कार्यालय : अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 37 /3क(2)/मण्डल परिवर्तन/2025–26/दिनांक 09/04/2025

मण्डल परिवर्तन पदस्थापना आदेश

शासनादेश संख्याः–214203/XXIV-B-1/2024/32(02)/2011/दिनांक 04.06.2024 एवं शासनादेश संख्या/ 2204 /XXIV-B-1/23–13(02)/2024/दिनांक 23.12.2024 के प्रस्तर–14 में निहित व्यवस्थानुसार मण्डल/ संवर्ग परिवर्तन हेतु जारी एस.ओ.पी. व निदेशालय के कार्यवृत्त दिनांक 14.02.2025 एवं निदेशालय के पत्रांक/ सेवायें अराज/तीन(ख)/05(1)/2024/24632/2024–25/दिनांक 03.03.2025 के द्वारा महानिदेशालय से प्राप्त अनुमोदनोंपरान्त निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिका (स्नातक वेतनक्रम) को उसी पद एवं वेतनक्रम में कुमॉऊ मण्डल से गढ़वाल मण्डल हेतु काउन्सिलिंग में दिये गये विकल्प के आधार पर निम्न तालिका के स्तम्भ संख्याः–04 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इस हेतु सम्बन्धित शिक्षक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका स्थानान्तरण के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने नवीन संवर्ग/मण्डल में कनिष्ठतम होंगे।

विषयः– गणित शाखाः–महिला

क्र. सं.	अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/श्रेणी	पदस्थापित विद्यालय का नाम/श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	राखी गोस्वामी	रा0क0उ0मा0वि0 बाबरखेड़ा ऊधमसिंहनगर (सुगम)	रा0क0इ0का0 मानकचौक नारसन हरिद्वार (सुगम)	—
2	अन्जना परमार	रा0बा0इ0का0 गणाई गंगोली पिथौरागढ़ (दुर्गम)	रा0क0इ0का0 थत्यूड़ जौनपुर टिहरी (दुर्गम)	—

मण्डल/संवर्ग परिवर्तन होने वाले शिक्षक/ शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः–

(1) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।

(3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के द्वारा अवकाश स्वीकृत होने पर ही उपभोग कर सकेंगे।

(6) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल मण्डल कार्यालय को स्वयं उपस्थित होकर अवगत कराया जायेगा।

(7) उक्त स्थानान्तरण ई–पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये है यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।

(8) एस.ओ.पी. के प्रस्तर 1. के अनुसार मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के स0अ0एल0टी0 के पद पर अपने मूल संवर्ग/मण्डल(जिसमें वे नियुक्त हुए हैं) में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा दिनांक 31.05.2024 तक पूर्ण करने पर ही सम्बन्धित को कार्यमुक्त किया जाय **(शिक्षकों की सेवा की गणना दिनांक 31.05.2024 के अनुसार की गयी है)**। 05 वर्ष की सेवा पूर्ण न होने पर सम्बन्धित को कदापि कार्यमुक्त न किया जाय। शिक्षकों को सेवाकाल में मात्र एक बार के लिए संवर्ग परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य है अतः उक्त शिक्षकों को पुनः मण्डल/संवर्ग परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

(9) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण यदि अटल उत्कृष्ट विद्यालय/सरप्लस शिक्षक के पद के प्रति एवं स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने अथवा किसी त्रुटि के होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा तत्काल स्थानान्तरित संस्था के प्रधानाचार्य से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त मण्डल कार्यालय में उपस्थिति दी जायेगी।

(10) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका के वर्तमान विद्यालय एवं पूर्व विद्यालय की श्रेणी में अन्तर होता है तो सम्बन्धित को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय व प्रधानाचार्य से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये तत्काल मण्डल कार्यालय में उपस्थिति दी जाय।

(11) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–331/एस.एस./2025 कमल सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेगी।

(12) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक यदि प्रभारी प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हो तो सम्बन्धित शिक्षक अपना प्रभार नियमित शिक्षक को ही सौंपेगें। अतिथि शिक्षक को कदापि कार्यभार न सौंपा जाय।

(13) तदर्थ/शिक्षक बन्धु जिनका विनियमीतिकरण नहीं हुआ हो तथा संवर्ग/मण्डल परिवर्तन में नाम हो तो सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को भी कार्यमुक्त न किया जाय।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

9/4/25

(कंचन देवराड़ी)
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ.सं./सेवा.अराज./464-74/3क(2)/मण्डल परिवर्तन/2025–26/दिनांक उक्तांकित्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
4. अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को अपने स्तर से भी कार्यमुक्ति हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका का सेवा विवरण ऐजुकेशन पोर्टल पर अपडेट करना एवं प्रभारी प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के सेवा–अभिलेखों की जांच करने के उपरान्त सम्बन्धित को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होने के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षकों के सेवा–अभिलेखों के सम्बन्ध में कोई विसंगति/प्रत्यावेदन की दशा में बिना मंडल कार्यालय से निस्तारित हुए बिना कार्यमुक्त न कराये अन्यथा इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
10. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त बिन्दुओं के पूर्णतः जांच करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होने के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षकों के सेवा–अभिलेखों के सम्बन्ध में कोई विसंगति/प्रत्यावेदन की दशा में बिना मंडल कार्यालय से निस्तारित हुए बिना कार्यमुक्त न कराये अन्यथा इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
11. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका यदि आप प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के प्रभार में हैं तो अपने खण्ड शिक्षा अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त प्रभार हस्तांतरित करते हुये कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करें।
12. कार्यालय पत्रावली।

9/4/25

(कंचन देवराड़ी)
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

।। कार्यालय : अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।।

आदेश संख्या / सेवा.अराज./ 39 /3क(2)/मण्डल परिवर्तन/2025–26/दिनांक 09/04/2025

मण्डल परिवर्तन पदस्थापना आदेश

शासनादेश संख्या:–214203/XXIV-B-1/2024/32(02)/2011/दिनांक 04.06.2024 एवं शासनादेश संख्या/ 2204 /XXIV-B-1/23–13(02)/2024/दिनांक 23.12.2024 के प्रस्तर–14 में निहित व्यवस्थानुसार मण्डल/ संवर्ग परिवर्तन हेतु जारी एस.ओ.पी. व निदेशालय के कार्यवृत्त दिनांक 14.02.2025 एवं निदेशालय के पत्रांक/ सेवायें अराज/तीन(ख)/05(1)/2024/24632/2024–25/दिनांक 03.03.2025 के द्वारा महानिदेशालय से प्राप्त अनुमोदनोंपरान्त निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिका (स्नातक वेतनक्रम) को उसी पद एवं वेतनक्रम में कुमाँऊ मण्डल से गढ़वाल मण्डल हेतु काउन्सिलिंग में दिये गये विकल्प के आधार पर निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या:–04 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इस हेतु सम्बन्धित शिक्षक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका स्थानान्तरण के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने नवीन संवर्ग/मण्डल में कनिष्ठतम होंगे।

विषय:– गृह विज्ञान शाखा:–महिला

क्र.सं.	अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/श्रेणी	पदस्थापित विद्यालय का नाम/श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	अरूणी	अ0उ0रा0बा0इ0का0 चौखुटिया अल्मोडा (दुर्गम)	रा0बा0इ0का0 एकेश्वर पौड़ी (दुर्गम)	—

मण्डल/संवर्ग परिवर्तन होने वाले शिक्षक/ शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:–

(1) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।

(3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के द्वारा अवकाश स्वीकृत होने पर ही उपभोग कर सकेंगे।

(6) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल मण्डल कार्यालय को स्वयं उपस्थित होकर अवगत कराया जायेगा।

(7) उक्त स्थानान्तरण ई–पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये है यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।

(8) एस.ओ.पी. के प्रस्तर 1. के अनुसार मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के स0अ0एल0टी0 के पद पर अपने मूल संवर्ग/मण्डल(जिसमें वे नियुक्त हुए हैं) में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा दिनांक 31.05.2024 तक पूर्ण करने पर ही सम्बन्धित को कार्यमुक्त किया जाय **(शिक्षकों की सेवा की गणना दिनांक 31.05.2024 के अनुसार की गयी है)**। 05 वर्ष की सेवा पूर्ण न होने पर सम्बन्धित को कदापि कार्यमुक्त न किया जाय। शिक्षकों को सेवाकाल में मात्र एक बार के लिए संवर्ग परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य है अतः उक्त शिक्षकों को पुनः मण्डल/संवर्ग परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

(9) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण यदि अटल उत्कृष्ट विद्यालय/सरप्लस शिक्षक के पद के प्रति एवं स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने अथवा किसी त्रुटि के होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा तत्काल स्थानान्तरित संस्था के प्रधानाचार्य से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त मण्डल कार्यालय में उपस्थिति दी जायेगी।

(10) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका के वर्तमान विद्यालय एवं पूर्व विद्यालय की श्रेणी में अन्तर होता है तो सम्बन्धित को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय व प्रधानाचार्य से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये तत्काल मण्डल कार्यालय में उपस्थिति दी जाय।

(11) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–331/एस.एस./2025 कमल सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेगी।

(12) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक यदि प्रभारी प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हो तो सम्बन्धित शिक्षक अपना प्रभार नियमित शिक्षक को ही सौंपेगें। अतिथि शिक्षक को कदापि कार्यभार न सौंपा जाय।

(13) तदर्थ/शिक्षक बन्धु जिनका विनियमीतिकरण नहीं हुआ हो तथा संवर्ग/मण्डल परिवर्तन में नाम हो तो सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को भी कार्यमुक्त न किया जाय।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

9/4/25

(कंचन देवराड़ी)
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ.सं./सेवा.अराज./486-96/3क(2)/मण्डल परिवर्तन/2025–26/दिनांक उक्तांकित्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
4. अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को अपने स्तर से भी कार्यमुक्ति हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका का सेवा विवरण ऐजुकेशन पोर्टल पर अपडेट करना एवं प्रभारी प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के सेवा–अभिलेखों की जांच करने के उपरान्त सम्बन्धित को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होने के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षकों के सेवा–अभिलेखों के सम्बन्ध में कोई विसंगति/प्रत्यावेदन की दशा में बिना मंडल कार्यालय से निस्तारित हुए बिना कार्यमुक्त न कराये अन्यथा इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
10. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त बिन्दुओं के पूर्णतः जांच करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होने के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षकों के सेवा–अभिलेखों के सम्बन्ध में कोई विसंगति/प्रत्यावेदन की दशा में बिना मंडल कार्यालय से निस्तारित हुए बिना कार्यमुक्त न कराये अन्यथा इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
11. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका यदि आप प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के प्रभार में हैं तो अपने खण्ड शिक्षा अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त प्रभार हस्तांतरित करते हुये कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करें।
12. कार्यालय पत्रावली।

9/4/25

(कंचन देवराड़ी)
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

।। कार्यालय : अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 38 /3क(2)/मण्डल परिवर्तन/2025–26/दिनांक 09/04/2025

मण्डल परिवर्तन पदस्थापना आदेश

शासनादेश संख्याः–214203/XXIV-B-1/2024/32(02)/2011/दिनांक 04.06.2024 एवं शासनादेश संख्या/ 2204 /XXIV-B-1/23–13(02)/2024/दिनांक 23.12.2024 के प्रस्तर–14 में निहित व्यवस्थानुसार मण्डल/ संवर्ग परिवर्तन हेतु जारी एस.ओ.पी. व निदेशालय के कार्यवृत्त दिनांक 14.02.2025 एवं निदेशालय के पत्रांक/ सेवायें अराज/तीन(ख)/05(1)/2024/24632/2024–25/दिनांक 03.03.2025 के द्वारा महानिदेशालय से प्राप्त अनुमोदनोंपरान्त निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिका (स्नातक वेतनक्रम) को उसी पद एवं वेतनक्रम में कुमॉऊ मण्डल से गढ़वाल मण्डल हेतु काउन्सिलिंग में दिये गये विकल्प के आधार पर निम्न तालिका के स्तम्भ संख्याः–04 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इस हेतु सम्बन्धित शिक्षक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका स्थानान्तरण के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने नवीन संवर्ग/मण्डल में कनिष्ठतम होंगे।

विषयः– व्यायाम

शाखाः–महिला

क्र.सं.	अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/श्रेणी	पदस्थापित विद्यालय का नाम/श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	रेनू डांगला	रा0बा0इ0का0 बग्वालीपोखर द्वाराहाट अल्मोड़ा (दुर्गम)	रा0क0उ0मा0वि0 बडेथी चुंगी उत्तरकाशी (दुर्गम)	—

मण्डल/संवर्ग परिवर्तन होने वाले शिक्षक/ शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः–

(1) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।

(3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के द्वारा अवकाश स्वीकृत होने पर ही उपभोग कर सकेंगे।

(6) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल मण्डल कार्यालय को स्वयं उपस्थित होकर अवगत कराया जायेगा।

(7) उक्त स्थानान्तरण ई–पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये है यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।

(8) एस.ओ.पी. के प्रस्तर 1. के अनुसार मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के स0अ0एल0टी0 के पद पर अपने मूल संवर्ग/मण्डल(जिसमें वे नियुक्त हुए हैं) में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा दिनांक 31.05.2024 तक पूर्ण करने पर ही सम्बन्धित को कार्यमुक्त किया जाय **(शिक्षकों की सेवा की गणना दिनांक 31.05.2024 के अनुसार की गयी है)**। 05 वर्ष की सेवा पूर्ण न होने पर सम्बन्धित को कदापि कार्यमुक्त न किया जाय। शिक्षकों को सेवाकाल में मात्र एक बार के लिए संवर्ग परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य है अतः उक्त शिक्षकों को पुनः मण्डल/संवर्ग परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

(9) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण यदि अटल उत्कृष्ट विद्यालय/सरप्लस शिक्षक के पद के प्रति एवं स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने अथवा किसी त्रुटि के होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा तत्काल स्थानान्तरित संस्था के प्रधानाचार्य से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त मण्डल कार्यालय में उपस्थिति दी जायेगी।

(10) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका के वर्तमान विद्यालय एवं पूर्व विद्यालय की श्रेणी में अन्तर होता है तो सम्बन्धित को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय व प्रधानाचार्य से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये तत्काल मण्डल कार्यालय में उपस्थिति दी जाय।

(11) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–331/एस.एस./2025 कमल सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेगी।

(12) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक यदि प्रभारी प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हो तो सम्बन्धित शिक्षक अपना प्रभार नियमित शिक्षक को ही सौंपेगें। अतिथि शिक्षक को कदापि कार्यभार न सौंपा जाय।

(13) तदर्थ/शिक्षक बन्धु जिनका विनियमीतिकरण नहीं हुआ हो तथा संवर्ग/मण्डल परिवर्तन में नाम हो तो सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को भी कार्यमुक्त न किया जाय।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

9/4/25

(कंचन देवराड़ी)
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ.सं./सेवा.अराज./475–85/3क(2)/मण्डल परिवर्तन/2025–26/दिनांक उक्तांकित्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
4. अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को अपने स्तर से भी कार्यमुक्ति हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका का सेवा विवरण ऐजुकेशन पोर्टल पर अपडेट करना एवं प्रभारी प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के सेवा–अभिलेखों की जांच करने के उपरान्त सम्बन्धित को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होने के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षकों के सेवा–अभिलेखों के सम्बन्ध में कोई विसंगति/प्रत्यावेदन की दशा में बिना मंडल कार्यालय से निस्तारित हुए बिना कार्यमुक्त न कराये अन्यथा इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
10. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त बिन्दुओं के पूर्णतः जांच करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होने के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षकों के सेवा–अभिलेखों के सम्बन्ध में कोई विसंगति/प्रत्यावेदन की दशा में बिना मंडल कार्यालय से निस्तारित हुए बिना कार्यमुक्त न कराये अन्यथा इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
11. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका यदि आप प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के प्रभार में हैं तो अपने खण्ड शिक्षा अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त प्रभार हस्तांतरित करते हुये कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करें।
12. कार्यालय पत्रावली।

9/4/25

(कंचन देवराड़ी)
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

।। कार्यालय : अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 35 /3क(2)/मण्डल परिवर्तन/2025–26/दिनांक 09/04/2025

मण्डल परिवर्तन पदस्थापना आदेश

शासनादेश संख्याः–214203/XXIV-B-1/2024/32(02)/2011/दिनांक 04.06.2024 एवं शासनादेश संख्या/ 2204 /XXIV-B-1/23–13(02)/2024/दिनांक 23.12.2024 के प्रस्तर–14 में निहित व्यवस्थानुसार मण्डल/ संवर्ग परिवर्तन हेतु जारी एस.ओ.पी. व निदेशालय के कार्यवृत्त दिनांक 14.02.2025 एवं निदेशालय के पत्रांक/ सेवायें अराज/तीन(ख)/05(1)/2024/24632/2024–25/दिनांक 03.03.2025 के द्वारा महानिदेशालय से प्राप्त अनुमोदनोंपरान्त निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिका (स्नातक वेतनक्रम) को उसी पद एवं वेतनक्रम में कुमॉऊ मण्डल से गढ़वाल मण्डल हेतु काउन्सिलिंग में दिये गये विकल्प के आधार पर निम्न तालिका के स्तम्भ संख्याः–04 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इस हेतु सम्बन्धित शिक्षक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका स्थानान्तरण के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने नवीन संवर्ग/मण्डल में कनिष्ठतम होंगे।

विषयः– हिन्दी

शाखाः–महिला

क्र. सं.	अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/श्रेणी	पदस्थापित विद्यालय का नाम/श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	विशेश्वरी सजवाण	रा0बा0इ0का0 ऐठाण बागेश्वर (दुर्गम)	रा0बा0इ0का0 पोखरी चमोली (दुर्गम)	—
2	प्रियंका चौहान	रा0क0उ0मा0वि0 विषाड़ पिथौरागढ (दुर्गम)	रा0क0उ0मा0वि0 धारकोट टिहरी (दुर्गम)	—
3	आरती	रा0बा0इ0का0 जयन्ती अल्मोड़ा (दुर्गम)	रा0क0उ0मा0वि0 दिखोली उत्तरकाशी (दुर्गम)	—

मण्डल/संवर्ग परिवर्तन होने वाले शिक्षक/ शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः–

(1) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।

(3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के द्वारा अवकाश स्वीकृत होने पर ही उपभोग कर सकेंगे।

(6) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल मण्डल कार्यालय को स्वयं उपस्थित होकर अवगत कराया जायेगा।

(7) उक्त स्थानान्तरण ई–पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये है यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।

(8) एस.ओ.पी. के प्रस्तर 1. के अनुसार मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के स0अ0एल0टी0 के पद पर अपने मूल संवर्ग/मण्डल(जिसमें वे नियुक्त हुए हैं) में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा दिनांक 31.05.2024 तक पूर्ण करने पर ही सम्बन्धित को कार्यमुक्त किया जाय **(शिक्षकों की सेवा की गणना दिनांक 31.05.2024 के अनुसार की गयी है)**। 05 वर्ष की सेवा पूर्ण न होने पर सम्बन्धित को कदापि कार्यमुक्त न किया जाय। शिक्षकों को सेवाकाल में मात्र एक बार के लिए संवर्ग परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य है अतः उक्त शिक्षकों को पुनः मण्डल/संवर्ग परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

(9) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण यदि अटल उत्कृष्ट विद्यालय/सरप्लस शिक्षक के पद के प्रति एवं स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने अथवा किसी त्रुटि के

होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा तत्काल स्थानान्तरित संस्था के प्रधानाचार्य से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त मण्डल कार्यालय में उपस्थिति दी जायेगी।

(10) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका के वर्तमान विद्यालय एवं पूर्व विद्यालय की श्रेणी में अन्तर होता है तो सम्बन्धित को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय व प्रधानाचार्य से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये तत्काल मण्डल कार्यालय में उपस्थिति दी जाय।

(11) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–331/एस.एस./2025 कमल सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेगी।

(12) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक यदि प्रभारी प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हो तो सम्बन्धित शिक्षक अपना प्रभार नियमित शिक्षक को ही सौंपेगें। अतिथि शिक्षक को कदापि कार्यभार न सौंपा जाय।

(13) तदर्थ/शिक्षक बन्धु जिनका विनियमीतिकरण नहीं हुआ हो तथा संवर्ग/मण्डल परिवर्तन में नाम हो तो सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को भी कार्यमुक्त न किया जाय।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

9/5/25

(कंचन देवराड़ी)
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ.सं./सेवा.अराज./ 442-52 /3क(2)/मण्डल परिवर्तन/2025–26/दिनांक उक्तांकित्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
4. अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को अपने स्तर से भी कार्यमुक्ति हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका का सेवा विवरण ऐजुकेशन पोर्टल पर अपडेट करना एवं प्रभारी प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के सेवा–अभिलेखों की जांच करने के उपरान्त सम्बन्धित को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होने के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षकों के सेवा–अभिलेखों के सम्बन्ध में कोई विसंगति/प्रत्यावेदन की दशा में बिना मंडल कार्यालय से निस्तारित हुए बिना कार्यमुक्त न कराये अन्यथा इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
10. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त बिन्दुओं के पूर्णतः जांच करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होने के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षकों के सेवा–अभिलेखों के सम्बन्ध में कोई विसंगति/प्रत्यावेदन की दशा में बिना मंडल कार्यालय से निस्तारित हुए बिना कार्यमुक्त न कराये अन्यथा इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
11. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका यदि आप प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के प्रभार में हैं तो अपने खण्ड शिक्षा अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त प्रभार हस्तांतरित करते हुये कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करें।
12. कार्यालय पत्रावली।

9/5/25

(कंचन देवराड़ी)
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

।। कार्यालय : अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 36 /3क(2)/मण्डल परिवर्तन/2025-26/दिनांक 09/04/2025

मण्डल परिवर्तन पदस्थापना आदेश

शासनादेश संख्याः-214203/XXIV-B-1/2024/32(02)/2011/दिनांक 04.06.2024 एवं शासनादेश संख्या/ 2204 /XXIV-B-1/23-13(02)/2024/दिनांक 23.12.2024 के प्रस्तर-14 में निहित व्यवस्थानुसार मण्डल/ संवर्ग परिवर्तन हेतु जारी एस.ओ.पी. व निदेशालय के कार्यवृत्त दिनांक 14.02.2025 एवं निदेशालय के पत्रांक/ सेवायें अराज/तीन(ख)/05(1)/2024/24632/2024-25/दिनांक 03.03.2025 के द्वारा महानिदेशालय से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिका (स्नातक वेतनक्रम) को उसी पद एवं वेतनक्रम में कुमॉऊ मण्डल से गढ़वाल मण्डल हेतु काउन्सिलिंग में दिये गये विकल्प के आधार पर निम्न तालिका के स्तम्भ संख्याः-04 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इस हेतु सम्बन्धित शिक्षक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका स्थानान्तरण के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने नवीन संवर्ग/मण्डल में कनिष्ठतम होंगे।

विषयः- अंग्रेजी शाखाः-महिला

क्र. सं.	अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/श्रेणी	पदस्थापित विद्यालय का नाम/श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	बबीता चौहान	रा0बा0इ0का0 नमजला पिथौरागढ (दुर्गम)	रा0बा0इ0का0 कोटी कनासर देहरादून (दुर्गम)	—

मण्डल/संवर्ग परिवर्तन होने वाले शिक्षक/ शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः-

(1) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।

(3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के द्वारा अवकाश स्वीकृत होने पर ही उपभोग कर सकेंगे।

(6) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल मण्डल कार्यालय को स्वयं उपस्थित होकर अवगत कराया जायेगा।

(7) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये है यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।

(8) एस.ओ.पी. के प्रस्तर 1. के अनुसार मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के स0अ0एल0टी0 के पद पर अपने मूल संवर्ग/मण्डल(जिसमें वे नियुक्त हुए हैं) में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा दिनांक 31.05.2024 तक पूर्ण करने पर ही सम्बन्धित को कार्यमुक्त किया जाय **(शिक्षकों की सेवा की गणना दिनांक 31.05.2024 के अनुसार की गयी है)**। 05 वर्ष की सेवा पूर्ण न होने पर सम्बन्धित को कदापि कार्यमुक्त न किया जाय। शिक्षकों को सेवाकाल में मात्र एक बार के लिए संवर्ग परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य है अतः उक्त शिक्षकों को पुनः मण्डल/संवर्ग परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

(9) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण यदि अटल उत्कृष्ट विद्यालय/सरप्लस शिक्षक के पद के प्रति एवं स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने अथवा किसी त्रुटि के होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा तत्काल स्थानान्तरित संस्था के प्रधानाचार्य से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त मण्डल कार्यालय में उपस्थिति दी जायेगी।

(10) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका के वर्तमान विद्यालय एवं पूर्व विद्यालय की श्रेणी में अन्तर होता है तो सम्बन्धित को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय व प्रधानाचार्य से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये तत्काल मण्डल कार्यालय में उपस्थिति दी जाय।

(11) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–331/एस.एस./2025 कमल सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेगी।

(12) मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक यदि प्रभारी प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हो तो सम्बन्धित शिक्षक अपना प्रभार नियमित शिक्षक को ही सौंपेगें। अतिथि शिक्षक को कदापि कार्यभार न सौंपा जाय।

(13) तदर्थ/शिक्षक बन्धु जिनका विनियमीतिकरण नहीं हुआ हो तथा संवर्ग/मण्डल परिवर्तन में नाम हो तो सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को भी कार्यमुक्त न किया जाय।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

9/4/25

(कंचन देवराड़ी)
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ.सं./सेवा.अराज./453-63/3क(2)/मण्डल परिवर्तन/2025–26/दिनांक उक्तांकित्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
4. अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को अपने स्तर से भी कार्यमुक्ति हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका का सेवा विवरण ऐजुकेशन पोर्टल पर अपडेट करना एवं प्रभारी प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के सेवा–अभिलेखों की जांच करने के उपरान्त सम्बन्धित को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होने के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षकों के सेवा–अभिलेखों के सम्बन्ध में कोई विसंगति/प्रत्यावेदन की दशा में बिना मंडल कार्यालय से निस्तारित हुए बिना कार्यमुक्त न कराये अन्यथा इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
10. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त बिन्दुओं के पूर्णतः जांच करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त होने के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षकों के सेवा–अभिलेखों के सम्बन्ध में कोई विसंगति/प्रत्यावेदन की दशा में बिना मंडल कार्यालय से निस्तारित हुए बिना कार्यमुक्त न कराये अन्यथा इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
11. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका यदि आप प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के प्रभार में हैं तो अपने खण्ड शिक्षा अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त प्रभार हस्तांतरित करते हुये कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करें।
12. कार्यालय पत्रावली।

9/4/25

(कंचन देवराड़ी)
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।